नम्बर व अहकाम जो किस तामील

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डा.रविन्द्र गोस्वामी, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –130/2003 (अपील)

GCMS No.- 2003/00008

सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

--अपीलाण्ट.

बनाम

श्री त्रिलोकीनाथ पुत्र विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी नयापुरा कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 8.3.96 को खारिज करने हेतु ग्राम रामपुरा कोटा तहसीलदार लाडपुरा ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–19.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरा तहसील लाडपुरा कोटा स्थित सिवायचक आराजी किता–13 रकबा 2.96 हे0 लगानी 63.80 वाके ग्राम रामपुरा नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 8.3.96 से श्री त्रिलोकीनाथ पुत्र विश्वनाथ जाति ब्राह्मण निवासी नयापुरा के पक्ष में पीठासीन अधिकारी द्वारा नामान्तकरण प्रमाणित कर खाते दर्ज की गई ।

2. उक्त नामान्तकरण निरस्त कराने हेतु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह अपील दिनांक 20.5.2003 को प्रस्तुत की गई कि उक्त आराजी किता 13 रकबा 2.96 हे0 ग्राम रामपुरा तहसील लाडपुरा पूर्व में नामान्तकरण संख्या 21 दिनांक 21.7.1973 से त्रिलोकीनाथ पुत्र विश्वनाथ के खाते से खारिज कर सिवायचक दर्ज की गई थी । उक्त आराजी सीलिंग अधिग्रहण भूमि है तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 106 दिनांक 8.3.96 प्रमाणित किया गया है जो बिना सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त किये बिना प्रमाणित किया है जो नियमों के विपरीत है व क्षैत्राधिकार से परे है । भूमि सीलिंग सिवायचक होने से व नामान्तकरण संख्या 106 अवैधानिक तौर पर दर्ज कर प्रमाणित कर त्रिलोकीनाथ पुत्र श्री विश्वनाथ के खाते दर्ज की गई है जो अवैध होने से नामान्तकरण संख्या 106 निरस्त योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तामिल नहीं हुए, तत्पश्चात नोटिस बोर्ड पर चस्पांदगी से तामिल कराई गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । प्रकरण 10 वर्ष पुराना होने से पेरोकार सरकार को सुना गया ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम रामपुरा की प्रश्नगत भूमि नामान्तकरण संख्या 106 की आराजी किता–13 रकबा 2.96 हे0 02 खातों में विभक्त है । खाता संख्या 82 में खसरा नं0 314, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 है जो वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है । जमाबंदी में नोट नं0 12 दिनांक 30.4.2022 से हाईकोर्ट जयपुर में अपील संख्या CWP /10193/2015 के आदेश दिनांक 9.01.2018 व डी एम कोटा के आदेश कमांक/पी.ए./2014/3919–20 दिनांक 14.8.2014 एवं कमांक/प 2/राज/2022/4856 दिनांक 28.4.2022 से बेचान अन्तरण, पट्टा

जिला कलेक्टर
कोटा

पर रोक लगाई हुई है । इसी प्रकार खाता संख्या 1 जो खाता सरकार है में खसरा नं0 312 313 पर भी हाईकोर्ट जयपुर में अपील संख्या CWP /10193/2015 के आदेश दिनांक 9.01.2018 व डी एम कोटा के आदेश कमांक/पी.ए./2014/3919–20 दिनांक 14.8.2014 एवं कमांक/प 2/राज/2022/4856 दिनांक 28.4.2022 से बेचान अन्तरण, पट्टा पर रोक लगाई हुई है । इस प्रकरण उक्त नामान्तरण सं0 106 की भूमि किता–13 रकबा 2.96 पर हाईकोर्ट से स्थगन है । वर्तमान में यह भूमि त्रिलोकीनाथ के नाम दर्ज नहीं होने से अपील में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से इसी स्तर निरस्तारण किया जाना उचित होगा ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम रामपुरा की जमाबंदी खाता संख्या 82 व 1 का अवलोकन किया, जिस अनुसार खाता संख्या 82 में खसरा नं0 314, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 है जो वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है । जमाबंदी में नोट नं0 12 दिनांक 30.4.2022 से हाईकोर्ट जयपुर में अपील संख्या CWP /10193/2015 के आदेश दिनांक 9.01.2018 व डी एम कोटा के आदेश कमांक/पी.ए./2014/3919–20 दिनांक 14.8.2014 एवं कमांक/प 2/राज/2022/4856 दिनांक 28.4.2022 से बेचान अन्तरण, पट्टा पर रोक लगाई हुई है । इसी प्रकार खाता संख्या 1 जो खाता सरकार है में खसरा नं0 312 313 पर भी हाईकोर्ट जयपुर में अपील संख्या CWP /10193/2015 के आदेश दिनांक 9.01.2018 व डी एम कोटा के आदेश कमांक/पी.ए./2014/3919–20 दिनांक 14.8.2014 एवं कमांक/प 2/ राज/ 2022/4856 दिनांक 28.4.2022 से बेचान अन्तरण, पट्टा पर रोक लगाई हुई है । इस प्रकार हम पाते है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम नहीं होकर खता संख्या 82 की भूमि नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है जिस पर नोट नं0 12 लगा हुआ है एवं खाता संख्या 1 की भूमि खाता सरकार है जिस पर नोट नं0 6 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWP /10193/2015 के आदेश दिनांक 9.01.2018 का स्थगन होने व इस कार्यालय से बेचान, अन्तरण पर रोक होने से यह अपील इसी स्तर पर निस्तारण योग्य है ।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में की गई प्रार्थना अनुसार ग्राम रामपुरा के नामा0 सं0 106 में अंकित भूमि खाता संख्या 82 की नगर विकास न्यास के नाम होने व खाता संख्या 1 की भूमि खाता सरकार होने से यह अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 106 दिनांक 8.3.96 खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा